न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0— 712 सन् 2014

बृजकिशोर राय.....वादी

बनाम

बुधन राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः—

12.02.2020

वादी की ओर से हाजिरी है, प्रतिवादी अनुपस्थित है, आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 13.08.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन में कथन है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 5 के मृत्यु दिनांक 20.06.2018 को हो गया है। प्रतिवादी और वादी एक ही परिवार के नहीं हैं और प्रतिवादी सं0 5 अक्सर घर से बाहर रहा करते थे जिनकी मृत्यु की जानकारी वादी को ससमय नहीं हो सका।

प्रतिवादी ने दिनांक 07.05.2019 को इस आशय का आवेदन दिया कि प्रतिवादी सं0 5 का मृत्यु दिनांक 20.06.2018 को हो गया है। प्रतिवादी सं0 5 राम नरेश राय

अपने पीछे दो पुत्रियां गिरजा देवी व जानकी देवी को छोड़कर मर गए है। राम नरेश राय को एक पुत्र जय मंगल राय थे जिनकी मृत्यु राम नरेश राय के जीवन काल में ही हो गई थी, जिन्होंने अपने पीछे अपनी विधवा फुलेना कुंवर तथा चार पुत्र शैलेश राय, लक्ष्मण राय, राकेश राय और मिथलेश राय तथा स्व0 जयमंगल राय के चार पुत्रियां सुलेखा, तेतरी, पुनम व कविता हुई जो सभी प्रतिवादी सं0 5 राम नरेश राय की जायज वारिसान हैं अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 5 स्व0 राम नरेश राय के स्थान पर उनके वारिसानों को पक्षकार बना दिया जाए। आवेदन में लिखित वारिसानों को पक्षकार बना दिया जाए।

वादी की ओर परिसीमा विधि की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर दिनांक 13.08.2019 को विलंब को माफ करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है, साथ ही वादी की ओर से अबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल कर प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार करने, प्रतिवादी की ओर से दिनांक 26.11.2019 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, जिसमें कथन है कि वादीगण और प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी हैं। प्रतिवादी सं0 5 राम नरेश राय की मृत्यु की जानकारी सभी वादीगण को हैं प्रतिवादी सं0 5 की मृत्यु 20.06.2018 को हो गया है इसलिए यह मुकदमा 18.09.2018 के पहले अबेट कर गया है। अबेटमेंट के बाद वादीगण को अबेटमेंट सेटेसाईट करने

के लिए 60 दिन लिमिटेशन का प्रावधान है, वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन 13.08.2019 को दिया गया है जो प्रतिवादी सं0 5 के मरने के करीब एक वर्ष दो माह के बाद दिया गया है जो विधितः पोषणिय नहीं है अतः वादीगण का मुकदमा पूणतः अबेट हो चुका है अतः प्रतिस्थापना आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 07.05.2019 को प्रतिवादी सं0 5 की मृत्यु की सूचना दी गई है जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा निवेदन किया गया है कि मुकदमा अबेट कर जाने के कारण खारिज कर दिया जाए। वादीगण के द्वारा संशोधन आवेदन सूचना प्राप्त होने के बाद भी विलंब से दाखिल किया गया है अतः न्यायहित में वादीगण के प्रतिस्थापना आवेदन को अबेटमेंट सेटेसाईट करते हुए 1000/– रूपये खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी सं0 5 राम नरेश राय का नाम वादपत्र से काटकर उनके स्थान पर आवेदन में लिखित वारिसानों के नाम समय सीमा की भीतर प्रतिस्थापित करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 19.02.2020

सब जज

सोनपुर सारण।